न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 60/2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/329**
दायर दिनांक :– 16.03.2022 **निर्णय दिनांक :– 16.04.2025**

1. नारायणसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप
2. बागसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप
3. छतरसालसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप
4. ओमपालसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप
5. सायरकंवर पत्नी किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप

–वादी

बनाम

1. खेताराम पुत्र बागाराम जाति भाट निवासी कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप
2. ओमप्रकाश पुत्र सुखाराम जाति सुथार निवासी ग्रान्धी तहसील कोलायत, बीकानेर
3. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय से पेश किया कि वादी संख्या 1 व वादीगण संख्या 2 से 5 के पूर्वज भैरूसिंह पुत्र जोगसिंह के नाम की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 35 रकबा 416–00 बीघा अन्य खसरान के साथ सरहद मौजा कानसिंह की सिड तहसील बाप में स्थित है, सरकार द्वारा सिलिंग एक्ट लागू करने पर भैरूसिंह व वादी नारायणसिंह के विरूद्व वर्ष 1973 में सिलिंग प्रकरण सरकार बनाम भैरूसिंह वगैरा प्रकरण संख्या 102/1973 दर्ज होकर उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा उक्त प्रकरण का दिनांक 17.11.1975 को निर्णय कर इनके पास 111–16 बीघा भूमि सिलिंग सीमा से अधिक मानते हुवे इनके खाते में से खसरा नम्बर 35 की 111–16 बीघा भूमि अधिग्रहण करने के आदेश दिये। उपखण्ड अधिकारी कोर्ट फलोदी के निर्णय के विरूद्व भैरूसिंह व नारायणसिंह ने जिलाधीश महोदय जोधपुर के न्यायालय में अपील की जो स्वीकार होकर पत्रावली में सुनवाई का अवसर देते हुवे पुनः विचार कर निर्णय हेतु उपखण्ड अधिकारी कोर्ट फलोदी को रिमाण्ड की जो दिनांक 11.06.1976 को उपखण्ड अधिकारी कोर्ट, फलोदी में पुनः दर्ज होकर सुनवाई कर उपखण्ड अधिकारी फलोदी के द्वारा दिनांक 14.02.1977 को पुनः निर्णय किया जिसमें

16/4/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

भी उन्होने भैरूसिंह व नारायणसिंह के पास 111–16 बीघा भूमि सिलिंग सीमा से अधिक माने हुवे अधिग्रहण के आदेश दिये जिसमें पूर्व में दिनांक 17.11.1975 के निर्णय में खसरा नम्बर 35 में से 111–16 बीघा भूमि अधिग्रहण करने के आदेश दिये गये उसे संशोधित कर खसरा नम्बर 35 के बजाय खसरा नम्बर 1004 में से 20–18 बीघा और खसरा नम्बर 885 में से 20–18 बीघा और खसरा नम्बर 885 रकबा 90–18 बीघा कुल रकबा 111–16 भूमि अधिग्रहण करने के आदेश दिये। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के उक्त निर्णय दिनांक 14.02.1977 में खसरा नम्बर 1004 की 20–18 बीघा व ख्सरा नम्बर 885 की 90–18 बीघा कुल रकबा 111–16 बीघा भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय के बावजूद भी तहसीलदार ने भैरूसिंह व नारायणसिंह के खाते में से पूर्व में जारी निर्णय दिनांक 17.11.1975 जो कि माननीय जिलाधीश महोदय जोधपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया फिर भी खसरा नम्बर 35 में से 111–16 बीघा भूमि अधिग्रहण कर उक्त खसरा नम्बर 35 रकबा 111–16 बीघा भूमि में से 41–16 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटन कर दी जो आवंटन आदेश उपखण्ड अधिकारी कोर्ट फलोदी के सिलिंग प्रकरण सरकार बनाम भैरूसिंह प्रकरण संख्या 102/1973 के निर्णय दिनांक 14.02.1977 के तहत निरस्त हो गया था और प्रतिवादी संख्या 1 के हक में हुवे उक्त आवंटन के विरूद्व वादी नारायणसिंह ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17(4) राजस्थान इम्पोजीशन ऑफ सिसिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डींग नियम 1981 के तहत नारायणसिंह बनाम खेताराम वगैरा पेश की जो राजस्व अपील संख्या 129/84 दर्ज होकर अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय जोधपुर दिनांक 10.02.1986 को निर्णय कर वादी प्रार्थी नारायणसिंह का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 के हक में हुवा आवंटन निरस्त कर दिया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर के उक्त निर्णय के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नम्बर 35/2 रकबा 41–16 बीघा भूमि वादी नारायणसिंह व भैरूसिंह के खाते में पुनः दर्ज न कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त राजस्व इन्द्राजात से प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि पर कोई कानूनी हक हासिल नहीं होते है वादी नारायणसिंह व भैरूसिंह तथा उसके वारिसान वादीगण संख्या 2 से 5 ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खसरा नम्बर 35/2 रकबा 41–16 बीघा के राजस्व इन्द्राजात निरस्त कर उक्त भूमि पुनः अपने नाम दर्ज करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को व राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को कई बार कहा तो टालमटोल का जवाब देते रहे और उक्त भूमि में चले आ रहे वादीगण के शांपूर्वक कब्जा काश्त में आज दिन तक किसी ने कोई दखलअंदाजी नहीं की लेकिन अभी जमीनों की किमते अत्यधिक बढ जाने की वजह से और उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि आगे प्रतिवादी संख्या 2 को बेचान कर दी। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में उक्त भूमि खसरा नम्बर 35/2 रकबा 41–16 बीघा का किया गया बेचान मात्र कागजी बेचान है वास्तव में मौके पर कब्जा हस्तान्तरण नहीं हुआ है क्योकि प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है, उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त वादीगण को पीढियों से आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। लेकिन फिर भी

16/4/18

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रतिवादी संख्या 2 ने पटवारी हल्का से मिलावट कर उक्त कागजी बेचान के आधार पर उक्त भूमि खसरा नम्बर 35/2 रकबा 41–16 बीघा यानि 6.7663 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरकरण संख्या 3084 मौजा कानसिंह की सिड अपने हक में भरवाकर उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में अपने नाम दर्ज करवा ली और अभी दिनांक 10.03.2022 को साथ लेकर उक्त भूमि में आया व वादीगण को धमकी दी कि जमीन का कब्जा छोड़ दो ये जमीन मैने खरीद ली है राजस्व रेकर्ड में यह जमीन मेरे नाम दर्ज हो चुकी है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के प्रकरण संख्या 102/1973 के निर्णय दिनांक 14.02.1977 व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर के प्रकरण संख्या 129/1984 के निर्णय दिनांक 10.02.1986 के आधार पर उक्त भूमि के कानूनी हकदार वादीगण है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त भूमि में कोई हक हासिल नहीं होते है वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम के राजस्व इन्द्राजात निरस्त करवा कर उक्त भूमि ग्राम कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 35/2 रकबा 41–16 बीघा यानि 6.7663 हैक्टेयर भूमि अपनी खातेदारी की घोषित करवाने का अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी संख्या 3 छतरसालसिंह के बयान पी.डब्लू–1 एवं पड़ोसी खातेदार मगसिंह पुत्र बिड़दसिंह के बयान पी.डब्लू–2 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गई।

हमने उभय पक्ष बहस सुनी। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि वादी संख्या 1 व वादीगण संख्या 2 से 5 के पूर्वज भैरूसिंह पुत्र जोगसिंह के नाम की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 35 रकबा 416–00 बीघा अन्य खसरान के साथ सरहद मौजा कानसिंह की सिड तहसील बाप में स्थित है, सरकार द्वारा सिलिंग एक्ट लागू करने पर भैरूसिंह व वादी नारायणसिंह के विरूद्व वर्ष 1973 में सिलिंग प्रकरण सरकार बनाम भैरूसिंह वगैरा प्रकरण संख्या 102/1973 दर्ज होकर उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा उक्त प्रकरण का दिनांक 17.11.1975 को निर्णय कर इनके पास 111–16 बीघा भूमि सिलिंग सीमा से अधिक मानते हुवे इनके खाते में से खसरा नम्बर 35 की 111–16 बीघा भूमि अधिग्रहण करने के आदेश दिये। उपखण्ड अधिकारी कोर्ट फलोदी के निर्णय के विरूद्व भैरूसिंह व नारायणसिंह ने जिलाधीश महोदय जोधपुर के न्यायालय में अपील की जो स्वीकार होकर पत्रावली में सुनवाई का अवसर देते हुवे पुनः विचार कर निर्णय हेतु उपखण्ड अधिकारी कोर्ट फलोदी को रिमाण्ड की जो दिनांक 11.06.1976 को उपखण्ड अधिकारी कोर्ट, फलोदी में पुनः दर्ज होकर सुनवाई कर उपखण्ड अधिकारी फलोदी के द्वारा दिनांक 14.02.1977 को पुनः निर्णय किया जिसमें भी उन्होने भैरूसिंह व नारायणसिंह के पास 111–16 बीघा भूमि सिलिंग सीमा से अधिक माने हुवे अधिग्रहण के आदेश

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

दिये जिसमें पूर्व में दिनांक 17.11.1975 के निर्णय में खसरा नम्बर 35 में से 111–16 बीघा भूमि अधिग्रहण करने के आदेश दिये गये उसे संशोधित कर खसरा नम्बर 35 के बजाय खसरा नम्बर 1004 में से 20–18 बीघा और खसरा नम्बर 885 में से 20–18 बीघा और खसरा नम्बर 885 रकबा 90–18 बीघा कुल रकबा 111–16 भूमि अधिग्रहण करने के आदेश दिये। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के उक्त निर्णय दिनांक 14.02.1977 में खसरा नम्बर 1004 की 20–18 बीघा व ख्सरा नम्बर 885 की 90–18 बीघा कुल रकबा 111–16 बीघा भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय के बावजूद भी तहसीलदार ने भैरूसिंह व नारायणसिंह के खाते में से पूर्व में जारी निर्णय दिनांक 17.11.1975 जो कि माननीय जिलाधीश महोदय जोधपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया फिर भी खसरा नम्बर 35 में से 111–16 बीघा भूमि अधिग्रहण कर उक्त खसरा नम्बर 35 रकबा 111–16 बीघा भूमि में से 41–16 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटन कर दी जो आवंटन आदेश उपखण्ड अधिकारी कोर्ट फलोदी के सिलिंग प्रकरण सरकार बनाम भैरूसिंह प्रकरण संख्या 102/1973 के निर्णय दिनांक 14.02.1977 के तहत निरस्त हो गया था और प्रतिवादी संख्या 1 के हक में हुवे उक्त आवंटन के विरूद्व वादी नारायणसिंह ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17(4) राजस्थान इम्पोजीशन ऑफ सिसिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डींग नियम 1981 के तहत नारायणसिंह बनाम खेताराम वगैरा पेश की जो राजस्व अपील संख्या 129/84 दर्ज होकर अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय जोधपुर दिनांक 10.02.1986 को निर्णय कर वादी प्रार्थी नारायणसिंह का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 के हक में हुवा आवंटन निरस्त कर दिया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर के उक्त निर्णय के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नम्बर 35/2 रकबा 41–16 बीघा भूमि वादी नारायणसिंह व भैरूसिंह के खाते में पुनः दर्ज न कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त राजस्व इन्द्राजात से प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि पर कोई कानूनी हक हासिल नहीं होते है वादी नारायणसिंह व भैरूसिंह तथा उसके वारिसान वादीगण संख्या 2 से 5 ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खसरा नम्बर 35/2 रकबा 41–16 बीघा के राजस्व इन्द्राजात निरस्त कर उक्त भूमि पुनः अपने नाम दर्ज करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को व राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को कई बार कहा तो टालमटोल का जवाब देते रहे और उक्त भूमि में चले आ रहे वादीगण के शांपूर्वक कब्जा काश्त में आज दिन तक किसी ने कोई दखलअंदाजी नहीं की लेकिन अभी जमीनों की किमते अत्यधिक बढ जाने की वजह से और उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि आगे प्रतिवादी संख्या 2 को बेचान कर दी। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के हक में उक्त भूमि खसरा नम्बर 35/2 रकबा 41–16 बीघा का किया गया बेचान मात्र कागजी बेचान है वास्तव में मौके पर कब्जा हस्तान्तरण नहीं हुआ है क्योकि प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है, उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त वादीगण को पीढियों से आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। लेकिन फिर भी प्रतिवादी संख्या 2 ने पटवारी हल्का से मिलावट कर उक्त कागजी बेचान के आधार पर उक्त भूमि खसरा नम्बर 35/2

16/5/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

रकबा 41–16 बीघा यानि 6.7663 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरकरण संख्या 3084 मौजा कानसिंह की सिड अपने हक में भरवाकर उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में अपने नाम दर्ज करवा ली और अभी दिनांक 10.03.2022 को साथ लेकर उक्त भूमि में आया व वादीगण को धमकी दी कि जमीन का कब्जा छोड़ दो ये जमीन मैने खरीद ली है राजस्व रेकर्ड में यह जमीन मेरे नाम दर्ज हो चुकी है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के प्रकरण संख्या 102/1973 के निर्णय दिनांक 14.02.1977 व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर के प्रकरण संख्या 129/1984 के निर्णय दिनांक 10.02.1986 के आधार पर उक्त भूमि के कानूनी हकदार वादीगण है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त भूमि में कोई हक हासिल नहीं होते है वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम के राजस्व इन्द्राजात निरस्त करवा कर उक्त भूमि ग्राम कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 35/2 रकबा 41–16 बीघा यानि 6.7663 हैक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार बाप पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 35 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर के मुकदमा नम्बर 129/84 के निर्णय दिनांक 10.02.1986 की पालना में नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ है। खसरा नम्बर 35/2 आवंटन अनुसार ही दर्ज है।

अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन, अवलोकन एवं अध्ययन करने पर पाया गया कि ग्राम कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 35/2 रकबा 41–16 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से आवंटन के आधार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है। वादीगण द्वारा वाद द्वारा कोई ऐसा दस्तावेजीय साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये है जिससे यह सिद्व होता है कि उक्त भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के विधिक अधिकारी है। खसरा नम्बर 35, 1004 एवं 885 में से कितनी–कितनी भूमि कब–कब अधिग्रहित की गयी इस संबंध में कोई रेकर्ड पेश नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दस्तावेजीय साक्ष्यों से साबित नहीं होता है। वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/4/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. नारायणसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप
2. बागसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप
3. छतरसालसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप
4. ओमपालसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप
5. सायरकंवर पत्नी किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप

–वादी

बनाम

1. खेताराम पुत्र बागाराम जाति भाट निवासी कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप
2. ओमप्रकाश पुत्र सुखाराम जाति सुथार निवासी ग्रान्धी तहसील कोलायत, बीकानेर
3. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 60/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है नीचे

मुतालिक

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर वसूल याबी तक

बाबत्

फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.04.2025 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।